न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2017

अपीलांट

1. पुखसिंह पुत्र हेमसिंह जाति रावणा राजपूत , निवासी बेदाना
2. मोडा पुत्र तेजा जाति मीणा , निवासी बेदाणा
3. मोटाराम पुत्र गेना जाति मीणा निवासी बेदाणा
   तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. धनीया पुत्र सामती फौत के कायम मुकाम–
   1/1. बाबूलाल वल्द धनीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   1/2. मंगलाराम पुत्र धनीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   1/3. जबराराम पुत्र धनीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   1/4. दासीया पुत्री धनीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   1/5. सुमटी पत्नी धनीया जाति मेणा
2. लादीया पुत्र सामती मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
3. भूरीया पुत्र तेजा फौत के कायम मुकाम–
   3/1. नेकाराम पुत्र भूरीया मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   3/2. चम्पालाल पुत्र भूरीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   3/3. हैमाराम पुत्र भूरीया जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
4. कुका पुत्र तेजा के कायम मुकाम–
   4/1. सेकाराम पुत्र कुका जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   4/2. सताराम पुत्र कुका जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   4/3. भंवरलाल पुत्र कुका जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   4/4. आसाराम पुत्र कुका जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
5. केसा पुत्र तेजा फौत के कायम मुकाम–
   5/1. नेमाराम पुत्र केसा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   5/2. नरपत पुत्र केसा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   5/3. रतनलाल पुत्र केसा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   5/4. मांगीलाल पुत्र केसा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
   5/5. पोनी पत्नी केसा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
6. उदाराम पुत्र तेजा जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
7. आदीया पुत्र तेजा मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
8. प्रभू पुत्र तेजा गेना जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
9. समाराम पुत्र गेना जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
10. सांकला पुत्र वना फौत के कायम मुकाम–
    10/1. वेलाराम पुत्र सांकला जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
    10/2. पुखराज पुत्र सांकला जाति मेणा निवासी बेदाना तह. आहोर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पेज संख्या 2/4

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री पारसमल बाराडा विद्वान अभि. रेस्पो. सं. 1/1 से 1/5 की ओर से
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/09/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 108/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा मौजा बेदाना में स्थित आराजी खसरा संख्या 11 रकबा 2.62 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट संख्या 01/1 से 1/5 ने अपने खेत पर पहुचने हेतु दो अन्य रास्ते उपलब्ध होने के बावजूद भी हमारी खातेदारी खसरा नम्बर 9 व 10 के पूर्वी भाग पर रास्ता नये सिरे से प्रस्तावित कर दियाजो गलत है। अपीलाण्ट नें अपील मीमों में अंकित सभी तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा न. 11 में जाने के लिए खसरा नं. 9 व 10 के खातेदारों में रास्ता मांगा जो गलत है। पटवारी हल्का व आर. ई हल्का द्वारा मौका फर्द दिनांक 07.04.2015 को बननी बतायी है। मौके पर आर. आई मौके पर कभी नहीं गये उन्होने अपने कार्यालय में बैठकर वर्तमान रेस्पों. धनीया वगैरा के कहे अनुसार बना ली व उसके द्वारा उपस्थित करवायें गये मौतबरान के हवाले से रास्ते का अभाव बताया है। उनके अनुसार प्रार्थी गण के पास रास्ता नहीं हैं। तहसीलदार स्वयं को मौका देखा जाना आवश्यक था तहसीलदार कभी मौके पर कभी नहीं आयें उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी थी न कि पटवारी से । खसरा नं. 9 व 10 में रास्ता दिया गया है। उनमें कुल करीब 24 खातेदार है एक को भी मौके पर हाजिर रहने का नोटिस व मौके पर आने की सूचना नहीं दी । ऐसी स्थिति मौका रिपोर्ट एक तरफा कार्यालय में बैठकर बनायी गयी तथा अपीलाण्ट के विरुद्ध ऐसी एक तरफा रिपोर्ट को नहीं पढ़ा जा सकता । जिन खसरों में से रास्ता दिया गया उन सभी खातेदारों के रुबरु उन्हें सूचना देकर तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर आकर मौका फर्द बनानी चाहिए थी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 9 व 10 में से रास्ता दिया गया है। व आदेश विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है।

चुंकि अपीलाण्ट पुखसिंह की खातेदारी में से रास्ता दिया गया है उसके रुबरु मौका नहीं देखने से उनको समय पर जानकारी नहीं हुई इसलिए जब

जानकारी हुई तब धारा 5 का प्रार्थना पत्र में अंकित सभी वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुई अपील पेश की है। इस आधार पर धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील म्याद के अन्दर मानी जाती है।

दोनो अधिवक्ताओं की विस्तार से बहस सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया । अपीलाण्ट का मुख्य का तर्क है कि रेस्पो. धनीया वगैरा के पास रास्ता का अभाव नहीं है। उसके खेत खसरा नं. 11 मे जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जो दोनो रास्ते मौके पर खुले व चालू हालात में है।

खसरा नं. 21 की पूर्वी माठ पर रास्ता चालू हालत में मौजूद है । यह रास्ता निर्विवाद रुप से खसरा नं. 12 के दक्षिणी माठ पर होकर खसरा नं. 11 धनीया के खेत में जाता है।

दूसरा वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 17 की माठ पर होकर जवाई नहर से पानी का नाला चलता है उसके पास में होकर चलता है। यह खसरा नं. 21,22,23 के बीच में होकर खसरा नं. 11 के प्रार्थी के खेत में निर्विवाद रुप से जाता है। इन दोनों रास्तों को अपील के साथ नक्शा परिशिष्ट ब में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इन दोनों रास्तों की पुष्टी अपील के साथ प्रस्तुत किये दो शपथ पत्र थानीय वल्द किशना व शपथ कर्ता रताराम पुत्र हांसाजी जाति सरगरा की है । इन दोनो शपथ पत्र का खण्डन रेस्पो. द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इन दोनों शपथ पत्रों को न मानने का कोई कारण उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थीगण के पास रास्ता का अभाव कभी नहीं था और ना है। अपीलाधीन निर्णय के पृष्ठ सं. 3 के अंतिम पैरा में खसरा नं. 9, 10 में कदीमी रास्ता होना बताया है। यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकियां दे रहे है। इन तथ्यों से प्रकट हो रहा है कि खसरा न. 9 व 10 में रास्ता था जिसे अप्रार्थीगण बन्द किया था तो ऐसे मामलों में धारा 251ए आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसे मामलो में धारा 251 के प्रावधान लागू होते है। जिसका क्षेत्राधिकार तहसीलदार को है। धारा 251ए में नया रास्ता देने के प्रावधान है। इसके विपरित वकिल रेस्पों. ने उपरोक्त बहस का न तो खण्डन किया तथा न ही नये तथ्यें उजागर कियें।

उपरोक्त कारणों रेस्पों. सं. 01 से 05 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया मूल प्रार्थना पत्र मेन्टेनेब्ल नहीं होने से प्रार्थना खारिज किया जाता है। तथा अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 108/2012 बअनवान धनीया वगैरा बनाम सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 के साथ मूल प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। निर्णय दिनांक 28.11.2016 की पालना में जमाबंदी में यदि नोट लगा हों तो हटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 108/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 को अपास्त किया जाता है, इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 23/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन मोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली